UPSI010036922026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–271/2026
सी.आई.एस. नं.–1603/2026

अवधेश पाल पुत्र गयादीन निवासी मोहल्ला हरिजन बस्ती सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

अपराध संख्या–229/2025
धारा–115(2), 351(2), 191(2), 333, 316(2) बी.एन.एस.
थाना–कोतवाली, जिला– सीतापुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अवधेश पाल की तरफ से अपराध संख्या 229/2025 अंतर्गत धारा 115(2),351(2),191(2),333, 316(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं का शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन किया है कि शपथकर्ता का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त न तो न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष एवं न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष जमानत प्रार्थना–पत्र दिया गया है और न ही खारिज हुआ है एवं न ही विचाराधीन है।

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार वादिनी गायत्री देवी ने अवधेश पाल आदि के विरुद्ध अ०सं० 229/2025, मुख्य रूप से, इस आशय से पंजीकृत कराया था कि उसके पति की मृत्यु, दिनांक 20.07.2025 को, हो चुकी है। प्रार्थिनी व उसके पति ने कुल मिलाकर 3,79,000/– रुपए तथा प्रार्थिनी की अपाचे मोटरसाइकिल, जो प्रार्थिनी के नाम है, विपक्षी नहीं दे रहा है और ससुर मेवालाल से किराए पर तीन वर्ष पूर्व ठेलिया लिया था, जिसका किराया भी नहीं देता है और न ही ठेलिया वापस किया है। पुलिस

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, सीतापुर

विभाग में प्रार्थना पत्र देने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 18.08.2025 को जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन दिया था, जिस पर विपक्षी अवधेश पाल अपनी पत्नी, बेटी व भतीजी कालिन्द्री, सरोजनी, गीता, शुभम व दो अज्ञात पुरूष व दो महिलाओं ने मेरे घर आकर घर के अन्दर कमरे में लात घूसों से काफी मारा–पीटा और धमकी दिया कि जान से मार देंगे।

4– वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर, अवधेश पाल व अन्य के विरुद्ध, अपराध संख्या 229/2025, अंतर्गत धारा 115(2),351(2), 191(2),316(2),333 थाना कोतवाली, जिला सीतापुर में पंजीकृत किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। वादिनी गायत्री देवी प्रार्थी/अभियुक्त की भतीजी के मकान में किराये से रहती है, जिसका किराया भी नहीं देती हैं तथा उस मकान को कब्जा करने की नीयत से वादिनी ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त वाद की सह–अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है।

7– दोनों पक्षों को सुना गया तथा केस डायरी व संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8– पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर, वादिनी के 3,79,000/– रु० व अपाचे मोटर साइकिल वादिनी को वापस न करने, वादिनी के ससुर की ठेलिया का किराया न देने एवं न ही उसे वापस करने, सहअभियुक्तगण के साथ उसके घर आकर घर के कमरे के अन्दर कमरे में लात–घूसों से मारने–पीटने एवं जान से मारने की धमकी देने आदि के आरोप हैं। मामले के विवेचक के द्वारा, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा 115(2),351(2),191(2),316(2),333 बी.एन.एस. प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना, विवेचक के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उस पर धारा 35(3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस की तामीली कराई गयी थी। मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है एवं अभियुक्त पर आक्षेपित आरोप अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। मामले की सह–अभियुक्तगण प्रियांशी पाल,

सरला पाल, सरोजनी, गीता देवी एवं कालिन्द्री की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है।

9– अतः ऐसी स्थिति में, उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, सशर्त रूप से, स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अवधेश पाल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त रूप से स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या 229/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 351(2),191(2),333,316(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जिला सीतापुर के मामले में, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत् बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत किये जाने पर, उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए–

1– प्रार्थी/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस–अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन्हें उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व–अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

दिनांक–23.06.2026

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1
सीतापुर।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, सीतापुर

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.23 16:32:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur